

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): Anti Corruption Bureau, Haryana P.S. (थाना): ACB, Gurugram Year (वर्ष): 2023

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0046

Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):

29/12/2023 21:23 hrs

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	419
2	IPC 1860	420
3	IPC 1860	467
4	IPC 1860	468
5	IPC 1860	471
6	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 Day (दिन): Date from (दिनांक से): Date To (दिनांक तक):
 Time Period (समय अवधि): Time From (समय से): Time To (समय तक):

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 29/12/2023 Time (समय): 20:10 hrs

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 017 Date and Time (दिनांक और समय): 29/12/2023 21:15 hrs

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence

(घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): SOUTH, 115 Km Beat No. (बीट सं.): (s)

(b) Address (पता): जिला महेन्द्रगढ़,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): ISHWER SINGH

(b) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 10/04/1967 (d) Nationality (राष्ट्रियता): INDIA

- (e) UID No. (यूआईडी सं.):
Passport No. (पासपोर्ट सं.):

(f)

Date of Issue (जारी करने की दिनांक):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

- (g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)
------------------	--------------------------------	--------------------------

- (h) Occupation (व्यवसाय):

- (i) Address
(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	DHAWANA, DHAWANA, REWARI SADAR, REWARI, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	DHAWANA, DHAWANA, REWARI, HARYANA, INDIA

- (j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-9416381286

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	मुकेश कुमार गुप्ता त0 उप0 अधी			1. जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, डिवीजन -3 अटेली महेन्द्रगढ़ MAHENDERGARH, HARYANA, INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)
------------------	--------------------------------

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा मे, प्रबन्धक अफसर , थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम । विषय:- प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने बारे तहरीर । श्रीमान जी, निवेदन यह है कि जांच क्रमांक 01 दिनांक 11.04.2022 नारनौल, मुख्य सचिव हरियाणा सरकार के यदि

क्रमांक 25/02/2022-4 चौ(1) दिनांक 05.04.2022, की अनुपालना में आपके कार्यालय के पृष्ठ क्रमांक 5781/I-2/SVB (H) dated 11.04.2022 के अनुसार दर्ज रजिस्टर की जाकर पड़ताल के लिये इस मण्डल में प्राप्त हुई थी ।

जांच में आरोप वर्णित है कि शिकायतकर्ता नरेश ठेकेदार गांव सिंहमा तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़ ने श्री मान मुख्यमंत्री, हरियाणा सरकार चण्डीगढ़ को प्रेषित शिकायत दिनांक 27.10.2021 में मुकेश गुप्ता उप अधीक्षक, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग डिवीजन 3 अटेली के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाये । शिकायत में लगाये गये आरोपों की जांच कार्यकारी अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग डिवीजन नं० 2, नारनौल द्वारा अमल में लाई गई । जांच रिपोर्ट में शिकायत के आरोप नं० 3, 4 व 6 की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हरियाणा से करवाई जाने बारे अंकित किया जिस पर हरियाणा सरकार ने सहमति देते हुये शिकायत में वर्णित आरोपों की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से करवाने के आदेश पारित किये । शिकायत में अंकित आरोप नं० 3, 4 व 6 निम्नप्रकार से हैं:-

कार्यकारी अभियन्ता सुमित गर्ग के कार्यालय पत्र क्रमांक 4506 दिनांक 06.03.2020 के अनुसार 42 स्वीकृति पत्र जारी किये गये हैं जिन पर फर्जी हस्ताक्षर किये गये हैं । स्वीकृति पत्र जारी करने के संबंध में डिप्टी सुपरीडेंट की जिम्मेवारी होती है । डिप्टी सुपरीडेंट ने Ex.EN सुमित गर्ग के फर्जी साइन करके खुद का ई.एस.आई व ई.पी.एफ वगैरा निकलवाये थे जो कि गलत थे ।

मुकेश गुप्ता ने डी०एन०आई०टी० व स्वीकृति पत्रों पर कार्यकारी अभियन्ता के स्वयं हस्ताक्षर करके डी०एन०आई०टी० व स्वीकृति पत्र पास किये हैं । जिसके कुछ डिस्पेच नम्बर 10307 दिनांक 28.12.2020, 3481, 3489, 3488, 3487, 3486, 3485, 3484, 3483, 3482, 3480, 3479, 3478, 3476, 3475 दिनांक 06.06.2021 को पास किये गये हैं ।

मुकेश गुप्ता सुपरीडेंट के खिलाफ एक एफ.आई.आर नं० 258 दिनांक 08.05.2019 दर्ज है जिसमें एक ठेकेदार इसकी वजह से आत्म हत्या कर गया था जिसमें इसके खिलाफ कोई कार्यवाही ना हुई ।

बिन्दू नं० 03 की जांच की पड़ताल के दौरान अंकित किये गये कथनों व प्राप्त किये गये रिकार्ड के अनुसार मुकेश कुमार गुप्ता तत्कालीन उप अधीक्षक, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग डिवीजन 3 अटेली द्वारा अपने जी०पी०एफ० से 2,80,000 रुपये निकलवाने पाये गये हैं । श्री अरूण कुमार, डिविजनल अकाउंट ऑफिसर, कार्यालय जन स्वास्थ्य विभाग डिविजन-3 नारनौल के कथन अनुसार HCSR (GPF) के चैप्टर- VII के प्वाइंट नं० 32 के अनुसार जब भी कोई कर्मचारी अपने जी०पी०एफ० में से एडवांस के तौर पर राशी लेने के लिये आवेदन करता है तो कर्मचारी के जी०पी०एफ० खाते में कुल जमा राशी का 50% या उसके 06 बेसिक पे की कुल राशी में से जो भी कम हो वह उसको देय होती है । जो श्री मुकेश गुप्ता के जी०पी०एफ० में कुल जमा राशी 7,17,669/- ₹० उस समय जमा थे जिसका 50% ₹० 3,58,834/- बनता है तथा बेसिक पे 47600/- के अनुसार 06 बेसिक ₹० 2,85,600/- बनती है । मुकेश कुमार गुप्ता तत्कालीन उप अधीक्षक, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग डिवीजन 3 अटेली द्वारा फार्म STR 42 –A व कार्यालय के जी०पी०एफ० की स्वीकृति आदेश क्रं० 6545-6549 दिनांक 17.09.2019 पर श्री सुमित गर्ग कार्यकारी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग डिवीजन 3 अटेली के फर्जी हस्ताक्षर करके 2,80,000 रुपये अपने जी०पी०एफ० से निकलवाना पाया गया है । श्री सुमित गर्ग, तत्कालीन कार्यकारी अभियन्ता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, डिवीजन 3, अटेली द्वारा जी०पी०एफ० से राशि निकालने के लिये स्वीकृति पत्र पर अपने हस्ताक्षर होने से मना किया है ।

मुकेश कुमार गुप्ता तत्कालीन उप अधीक्षक, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग डिवीजन 3 अटेली ने अपने पद का दुरुपयोग करके अपने जी०पी०एफ० के फार्म STR 42 –A व कार्यालय के जी०पी०एफ० की स्वीकृति आदेश क्रं० 6545-6549 दिनांक 17.09.2019 पर श्री सुमित गर्ग कार्यकारी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग डिवीजन 3 अटेली के फर्जी हस्ताक्षर करके 2,80,000 रुपये अपने जी०पी०एफ० से निकलवाना पाया गया है । जो मुकेश कुमार गुप्ता तत्कालीन उप अधीक्षक, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग डिवीजन 3 अटेली, के विरुद्ध धारा 419,420,467,468,471 भा०द०स० व 13 पी०सी० एक्ट के अन्तर्गत अभियोग दर्ज करने का सुझाव दिया गया है । उपरोक्त आरोपी द्वारा प्रथम दृष्टया अपराध धारा 419,420,467,468,471, भा०द०स० व 13 पी०सी० एक्ट का करना पाया गया है आरोपी का कृत्य EX-Facie Criminal Nature का है । जिसके लिये मुख्य सचिव कार्यालय के पत्र क्रमांक 4/2/2021-1 VII दिनांक 26.07.2022 द्वारा जारी निर्देशों के तहत 17-A भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की आवश्यकता नहीं है । अभियोग के अनुसंधान के दौरान किसी अन्य व्यक्ति, अधिकारी/कर्मचारी की संलिप्तता पाई जाती है तो उसे भी देख लिये जाने का सुझाव दिया गया है । इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 3397/ ACB/GGM दिनांक 07.08.2023 के अनुसार तहरीर तैयार करके अनुमोदन हेतु कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हरियाणा पंचकुला भेजी गई थी । महानिदेशक,

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा पंचकुला के कार्यालय के पत्र क्रमांक 13529/आई0-2/भ0नि0ब्यू0(ह0) दिनांक 10.08.2023 के अनुसार अभियोग दर्ज करने बारे अलग - अलग तहरीर तैयार करके भेजने के निर्देश प्राप्त हुये हैं। मुकेश कुमार गुप्ता तत्कालीन उप अधीक्षक, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग डिवीजन 3 अटेली के विरुद्ध धारा 419,420,467,468,471 भा0द0स0 व 13 पी0सी0 एक्ट के अन्तर्गत अभियोग अंकित करने के लिये ड्राफ्ट तहरीर तैयार करके अनुमोदन के लिये पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो गुरुग्राम मण्डल, गुरुग्राम के पत्र क्रं0 3786/ए0सी0बी0/गुरुग्राम दिनांक 28.08.2023 के अनुसार मुख्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हरियाणा पंचकुला भेजी गई। मुख्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हरियाणा पंचकुला कार्यालय के पत्र क्रं0 14604/I-2/ACB (H) दिनांक 31.08.2023 के अनुसार तहरीर अनुमोदन होकर प्राप्त होने पर पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो गुरुग्राम मण्डल, गुरुग्राम द्वारा मन निरीक्षक को अभियोग अंकित करने के लिये तहरीर मार्फ की है। आज मैं हाजिर कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो गुरुग्राम मण्डल, गुरुग्राम हूँ कि आरोपी मुकेश कुमार गुप्ता तत्कालीन उप अधीक्षक, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग डिवीजन 3 अटेली के विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अंतर्गत अभियोग अंकित करने के लिये लेख तैयार करके मु0 सि0 मन्जीत न0 598/दादरी के माध्यम से थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो गुरुग्राम भेजा जा रहा है। अभियोग अंकित करके अभियोग संख्या से सुचित किया जाये। अभियोग की स्पेशल रिपोर्ट नियमानुसार स्पेशल वाहक के माध्यम से ईलाका मजिस्ट्रेट व उच्चाधिकारियों को भिजवाई जाये। निरीक्षक ईशवर सिंह, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उप-केन्द्र नारनौल। दिनांक 29/12/2023 AT.- 8.00 PM अज थाना - आमदा तहरीर पर मुकदमा हजा बा जुर्म मजकुर दर्ज रजिस्टर किया गया। FIR की प्रतिया CCTNS द्वारा तैयार की गई। जो सेवा में ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब व अफसरान बाला को नियमानुसार भेजी जायेगी एक प्रति FIR बतौर स्पेशल रिपोर्ट ई-मेल द्वारा इलाका मजिस्ट्रेट साहब नारनौल भेजी जा रही है। मुकदमा हजा की असल मिशल पुलिस मय आमदा तहरीर बराये तपतीश नि0 ईशवर सिंह के पास भेजी जा रही है। आरिन्दा मु0 सि0 मन्जीत न0 598/दादरी के हवाले की गई।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): ISHWER Rank (पद): I (Inspector) SINGH

No. (सं.): 264NNL to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Jaipal

Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): 94

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	01/01/1971				
						Is pox pitted: Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)

